प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

अध्याय-1 एवं अध्याय-2 में राज्य सरकार के 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के क्रमश: वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे की जाँच से उत्पन्न प्रकरणों पर की गई लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ सम्मिलित हैं। आवश्यकतानुसार राज्य सरकार से भी सूचना प्राप्त की गयी है।

अध्याय-3 वित्तीय प्रतिवेदन पर चालू वर्ष के दौरान सरकार के विभिन्न वित्तीय नियमों, कार्यविधियों एवं निर्देशनों के अनुपालन का विहंगावलोकन तथा स्थिति प्रस्तुत करता है।

विभिन्न विभागों में की गई निष्पादन लेखापरीक्षा एवं लेनदेन की लेखापरीक्षा एवं सांविधिक निगमों, परिषदों एवं सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा से उत्पन्न प्रकरणों से संबंधित लेखापरीक्षा अभियुक्तियों को एवं राजस्व प्राप्तियों से संबंधित अभियुक्तियों को पृथक प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है।